भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1455

(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर विषय-वस्तु का विनियमन

1455. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त प्लेटफार्मों पर फर्जी समाचार, गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल मंचों पर अनुपयुक्त अथवा कम आयु में उपलब्ध विषय-वस्तु की अभिगम्यता और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर इसके प्रभाव का संज्ञान लिया है,

(घ) यदि हां, तो ऐसी विषय-वस्तु का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए किन्हीं दिशानिर्देशों, सुरक्षोपायों अथवा शास्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डिजिटल स्पेस में स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए देशी कंटेंट क्रियेटरों और प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों के भाग-III में डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों की आचार संहिता के अनुसार ऐसे प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों', केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है। इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म की आचार संहिता के अनुसार वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करेंगे, जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित 5 श्रेणियों में वर्गीकरण करेंगे। संहिता में यह भी प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु अनुपयुक्त सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेगा।

जहां तक यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि जैसे मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर सामग्री का संबंध है, आईटी नियम, 2021 के भाग-II ऐसे प्लेटफार्मों पर स्वयं उचित प्रयास करने और उनके कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को जानबूझकर और साभिप्राय ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित आदि नहीं करने का दायित्व डालता है, जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, शारीरिक निजता सहित, किसी अन्य की निजता का उल्लंघन है, जेंडर के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या जो बच्चे के लिए हानिकारक है, कोई भी जानकारी जो स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य है, और किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को वित्तीय लाभ के लिए गुमराह करने या परेशान करने या किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाने के इरादे से किसी भी रूप में लिखी और प्रकाशित की गई है।

*****